

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च 2017—चैत्र 3, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2017

क्र. एफ-1(ए)108-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 20 से 25 फरवरी 2017 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 एवं 26 फरवरी 2017 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2017

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक) 815-2016.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश को, उसके कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित, स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (क्र. 25 सन् 1946) के अधीन अन्वेषण किये गये उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण करने के लिये विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)
"1.	श्री योगेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन- जातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, भिण्ड.	भिण्ड."

(2) यह अधिसूचना व्यापम मामलों के संबंध में एतद् पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है.

F. No. 1-5-96-XXI-B(one)815-2017.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to Special Judge for area specified in the corresponding entry in column (3) thereof to try the cases relating to the offences specified under section 3 of the said Act in relation to various examinations conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board, investigated by the Special Task Force, Bhopal. Delhi Police and Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), namely :—

TABLE

S. No.	Name of Judge	Head Quarter
(1)	(2)	(3)
"1.	Shri Yogesh Kumar Gupta, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Bhind.	Bhind."

This Notification is being issued in addition to the earlier Notifications issued in respect of VYAPAM matters.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्र. 394-2017-ए-ग्यारह.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लि. बीना के निम्नांकित वाष्पयंत्रों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 30 सितम्बर 2017 तक के लिये निम्नानुसार छूट प्रदान करता है :-

क्र.	बॉयलर क्रमांक	प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि	फर्म द्वारा जाही गई छूट की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	एमपी/4847	5-4-2017	4-4-2018
2	एमपी/4846	5-4-2017	4-4-2018
3	एमपी/4840	5-4-2017	4-4-2018
4	एमपी/4841	6-4-2017	5-4-2018
5	एमपी/4842	15-4-2017	14-4-2018
6	एमपी/4845	15-4-2017	14-4-2018
7	एमपी/4844	6-4-2017	5-4-2018
8	एमपी/4843	15-4-2017	14-4-2018
9	एमपी/4774	6-4-2017	5-4-2018
10	एमपी/4775	18-2-2017	17-2-2018
11	एमपी/4776	6-4-2017	5-4-2018
12	एमपी/4801	15-4-2017	14-4-2018
13	एमपी/4802	15-4-2017	14-4-2018

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शालिनी सिन्हा, अवर सचिव।

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2017

क्र. 294.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र जिला धार के स्थानीय समाधानकर्ता को संदर्भित पीरामल हेल्थ केयर श्रमिक यूनियन लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार एवं कारखाना प्रबंधक पीरामल इंटर प्राईजेस लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद क्र. 1/एम.पी.आई.आर./16 में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है :—

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/एम.पी.आई.आर./16

No. 294.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960), the State Government hereby notifies that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute No. 1/MP/IR/16 between Piramal Enterprises Limited, Pithampur, Distt. Dhar and the Factory Manager of Piramal Enterprises Limited Pithampur, Distt. Dhar in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the Local area of Pithampur Industrial area in Dhar District :—

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 1/MP/IR/16

क्र. 296.—चूंकि, पीरामल इंटर प्राईजेस लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार के सेवानियुक्तगण जिनका प्रतिनिधित्व पीरामल हेल्थ केयर श्रमिक यूनियन महु जिला इन्दौर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक, पीरामल इंटर प्राईजेस लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और, चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है।

अतएव, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त विवाद को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश इंदौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है :—

अनुसूची

- (1) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को तीन वर्षों हेतु बेसिक, डी.ए., एच.आर.ए., वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता/एलटीए, शैक्षणिक भत्ता, चिकित्सा भत्ता, स्पेशल अलाउन्स, फेक्ट्री (जनरल) भत्ता में वृद्धि किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए?
- (2) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को संपूर्ण वेतन का 20 प्रतिशत बोनस एवं 20 प्रतिशत एक्सग्रेसिया दिये जाना की मांग औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होनी चाहिए?
- (3) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को प्राप्त हो रहे आकस्मिक अवकाश में वृद्धि किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए?
- (4) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को अर्जित अवकाश का निर्धारण करने में 240 दिन की उपस्थिति का बंधन समाप्त करना तथा 15 की उपस्थिति के स्थान पर 10 दिन की उपस्थिति पर 1 पी.एल का निर्धारित कर श्रमिकों को 90 दिन पी एल बेलेन्स की पात्रता किये जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होनी चाहिए?
- (5) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों जो मेडिकलेम पालिसी की परिधि में है उनका चिकित्सा व्यय व चिकित्सा अवकाश, संपूर्ण दिवसों का वेतन सहित भुगतान किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (6) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के लिये चलाये जा रहे कैंटिन के संचालन में सब्सीडी बढ़ाई जाकर नो लास नो प्राफिट के आधार पर कैंटिन संचालित किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (7) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को ग्रेन लोन, के अलावा हायर एज्यूकेशन लोन, हाउसिंग लोन तथा इमरजेंसी लोन दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?

- (8) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के लिये वेलफेयर सुविधा के लिये, वेलफेयर कमेटी बनाई जाना जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी श्रमिक प्रतिनिधियों की हो एवं श्रमिकों के बच्चों के लिये स्कूल/कॉलेज हेतु बस सुविधा दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (9) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को मृत्यु सहायता राशि, का भुगतान किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (10) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को की पदोन्नति के संबंध में पदोन्नति पालिसी निर्धारित किये जाना का औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए?
- (11) क्या कार्यरत श्रमिकों को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण करने पर उन श्रमिकों को स्थानांतरण हित लाभ दिया जाना का औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (12) क्या कार्यरत श्रमिकों के सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक सेवा वर्ष पर 30 दिन के वेतन की उपादान राशि का भुगतान किये जाने का औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (13) क्या कार्यरत श्रमिकों को जनरल पाली में कार्य करने वाले श्रमिकों को 15 दिन में आधे दिन का संवैतनिक अवकाश दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (14) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को मेडिकलेम पालिसी की राशि रुपये 5 लाख कर संपूर्ण प्रीमियम का व्यय कंपनी द्वारा दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (15) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को दिपावली के पर्व पर उपहार राशि/मिठाई के लिये राशि द्वारा दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए.
- (16) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को वार्षिक उत्सव एवं पिकनिक के आयोजन हेतु माह निर्धारित किया जावे एवं किसी कारणवश उक्त उतस्व का आयोजन नहीं होता है तो उसका नगद भुगतान, एक-एक दिन के अवकाश के साथ दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (17) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के वर्तमान में प्राप्त हो रहे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को बेसिक में समायोजित किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (18) क्या कार्यरत श्रमिकों को ओवर टाइम में भोजन, नाश्ता एवं दूध फल निःशुल्क दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (19) क्या कार्यरत श्रमिकों को उपस्थिति बोनस यथावत रखते हुए उस राशि को साप्ताहिक किया जाना एवं जिस सप्ताह दो या दो से अधिक एल.डब्ल्यू.पी. होने पर उस सप्ताह का उपस्थिति बोनस समाप्त कर शेष बचे तीन सप्ताह का बोनस वेतन में दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (20) क्या कार्यरत श्रमिकों के कारखाने में पुर्ननिर्धारण किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (21) क्या कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो अस्पताल में दो सहयोगी सहकर्मी कंपनी द्वारा दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (22) क्या कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनके पूर्ण स्वस्थ होने तक का व्यय एवं वेतन कंपनी द्वारा दिया जाना एवं किसी प्रकार की सर्जरी या गंभीर बीमारी होने पर स्वस्थ होने तक कंपनी द्वारा संपूर्ण व्यय एवं वेतन दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (23) क्या कार्यरत श्रमिकों के प्रत्येक वर्ष मेडिकल चेकअप कराकर इलाज कराया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (24) क्या कार्यरत श्रमिकों को शीत ऋतु में इनर (अपर एवं लोवर) वर्षा ऋतु में रेनकोट (टू पीस) दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (25) क्या कार्यरत श्रमिकों को ट्रायवल एरिया अलाउन्स में प्रतिमाह वृद्धि की जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (26) क्या कार्यरत श्रमिकों के परिवार के लिये एम्बुलेंस सुविधा दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
- (27) क्या कार्यरत श्रमिकों को एसएल के साथ पीएल एवं पीएल के एसएल भरने की पात्रता दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?

एवं उपरोक्त के संबंध में सेवा नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिये?

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2017

क्र. 1-57-स्था-प्र.रा.आ.-2016-21 (पार्ट)-1676.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला-भोपाल में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिये, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :—

स. क्र. राजस्व निरीक्षक का नाम

1 श्री सुरेश सिंह

2. शर्तें.—

- (1) इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे. यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा.
- (2) इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे.
- (3) इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है.
- (4) इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है. इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा.
- (5) इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी.
- (6) राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी.
- (7) उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिये राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. खरे, प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 28 जनवरी 2017

क्र. 10-अ-82-16-17.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली, जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR (283)/2016 Bhopal Date 30-11-2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक वैध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के

परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे. परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

(1) परियोजना का नाम.—	परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनागत नहर निर्माण
(2) भूमि का विवरण.—	
(1) जिला.—	सागर
(2) तहसील.—	सागर
(3) ग्राम.—	गालेपुर
(4) पट. ह. नं.—	135
(5) अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल	4.529 हैक्टर.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता कानाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्रीसिंह पिता वंशीधर स. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	40	0.830	0.100	..
		भूमिस्वामी	43	0.770	0.120	..
		भूमिस्वामी	44	1.180	0.017	..
		भूमिस्वामी	55	2.820	0.575	..
2	हरीसिंह, नथन सिंह, माधव सिंह, भोपालसिंह, उ विजयसिंग पिता सक्कूत्र सुहागरानी वेवा सक्कू साकिन बकस्वाहा भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	41	1.010	0.620	..
3	नन्हे भाई पिता खिलानसिंह साकिन बक्सवाहा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	42	0.280	0.143	..
4	रामसिंह पिता जगन्नाथ स. बक्सवाहा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	46	0.070	0.046	..
		भूमिस्वामी	48	0.830	0.100	..
		भूमिस्वामी	56	1.240	0.240	..
		भूमिस्वामी	22	2.470	0.143	..
5	श्री नन्दन पिता जयसिंह सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	17/1			..
		भूमिस्वामी	17/2	3.240	0.720	..
6	शिवराज सींग पिता डोमनसींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	16/1	2.360
7	रामराज सिंह पिता डोमन सिंह साकिन केवलारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	16/2	2.350	0.125	..
8	वीरेन्द्र सींग वल्द राजेन्द्र सींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	12/1	3.000	0.131	..
9	विक्रम सींग पिता राजेन्द्र सींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	12/2	0.970
10	श्री जानकी रमण मन्दिर मुह. अजीतसिंग वल्द भानुसिंग प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर साकिन केवलारी भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	10	4.070	0.323	..
11	नारानसींग, महतापसींग, रामसींग पिता कन्छेदी, चंदनसींग, पिता गोरेलाल साकिन केवलारी भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	78	3.220	0.403	..
12	प्रताप बालिग अब्बू विनोद नाबालिग पिता नन्हेभाई बली भाई प्रताप, कुसुमबाई वेबा नन्हेभाई सीताबाई पुत्री नन्हेभाई पता सा. केवलारी भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	80	1.030	0.180	..
		भूमिस्वामी	83	0.160	0.082	..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	प्रताप बालिग अब्बू विनोद नाबालिग पिता नन्हेभाई बली भाई प्रताप, कुसुमबाई वेबा नन्हेभाई सीताबाई पुत्री नन्हेभाई पता सा. केवलारी भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	81/1	0.050	0.068	..
14	श्री सरमन वल्द कमोद साकिन किवलारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	81/2	0.210
15	रामदरोगा पिता रजननसींग, तेजसींग पिता निरपतसींग गोदनसींग पिता मुन्शीसींग, लक्ष्मीनारायण, रामनारायण पिता रामदरोगा, राधाबाई, सरलाबाई, लक्ष्मीबाई पुत्री रामदरोगा, भागबाई वेवा रामदरोगा, हीरासींग, महाराजसींग, कुवरसींग पिता तेजीसींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	82	0.090	0.027	..
16	हीरासींग पिता तेजीसिंग साकिन केवलारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	67/1	2.110
17	महाराजसिंह पिता तेजसिंह साकिन केवलारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	67/2	2.120	0.366	..
18	कुवरसींग पिता तेजीसींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	67/3	2.120
योग ..			26	38.600	4.529	..

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली, जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, केसली, जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. (राजस्व), सागर की समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11-अ-82-16-17-804.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली, जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR (283)/2016 Bhopal Date 30-11-2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक वैध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे. परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु

निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

(1) परियोजना का नाम—	परकुल मध्यम सिंचाई परियोजांतर्गत नहर निर्माण
(2) भूमि का विवरण—	
(1) जिला.—	सागर
(2) तहसील—	सागर
(3) ग्राम.—	सिमरिया
(4) पट. ह. नं.—	138
(5) अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल	4.033 हैक्टर.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सुमित्राबाई बेवा उमाशंकर सा. देह सेवाखातेदार	सेवाखातेदार	190	1.700	0.591	..
2	लक्ष्मीबाई पत्नि वकीलसिंग साकिन केवलारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	186/4	0.690	0.071	..
3	रामदुलारी बेवा मंगल, हरनामसिंह, गोपसिंह, राजाभाई पिता मंगल साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	192/1	1.690	0.707	..
4	अरविंद, जितेन्द्र, जयसींग, पिता सीताराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	92/2	1.700
5	कल्याण सींग पिता मुन्शी, अवधरानी बेवा मुन्शी साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	252/2	0.720	0.537	..
6	चेन सिंह पिता नन्हें सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	254/1	0.220
7	तेजी सिंह पिता नन्हे सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	254/2	0.210	0.040	..
8	कपूरीबाई जोजे दरोंगासींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	255/1	1.620
9	सरदारसिंह पिता दरोगासिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	255/2	1.510	0.603	..
10	भागबाई उर्फ अशोकरानी पति गोपलासिंह साकिन बिलहरा भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	256/1	2.020	0.025	..
11	राजू वल्द इन्द्राज सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	256/2	0.400
12	श्रीमति ज्ञानबाई पति दशरथ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	257	1.450	0.275	..
13	प्रेमसिंह वल्द दशरथ सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	259	1.830	0.263	..
14	सुरेन्द्र पिता गुलाबसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	260	1.610	0.103	..
15	देव रामचन्द्रजी मन्दिर बांके मुहत्तमकार रामेश्वर पिता शिवराज सिंह साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर, सागर.	भूमिस्वामी	249	0.130	0.017	..
16	भोले पिता पुनू सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भूमि	भूमिस्वामी	239	0.210	0.060	..
17	जीराबाई पुत्री बाबूलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	247/1	2.710
18	भानसिंह पिता सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	247/2	1.350	0.335	..
19	महेन्द्र पिता सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	247/3	1.600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	जीराबाई पुत्री बाबुलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	184/1	2.050
21	मानसींग पिता सूरजसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	184/2	1.030	0.120	..
22	महेन्द्र पिता सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	184/3	1.030
23	शैलेन्द्र सींग पिता हाकमसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	185	2.290	0.286	..
योग ..			23	29.770	4.033	..

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली, जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, केसली, जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुए ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सुजित नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. (राजस्व), सागर की समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12-अ-82-16-17-805.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली, जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR (283)/2016 Bhopal Date 30-11-2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक वैध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे. परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

(1) परियोजना का नाम—	परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण					
(2) भूमि का विवरण—						
(1) जिला—	सागर					
(2) तहसील—	सागर					
(3) ग्राम—	केवलारी					
(4) पट. ह. नं.—	138					
(5) अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल	8.578 हेक्टर.					
स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मनीष सींग पिता राघवेन्द्र, अनीता पत्नि मनीष सींग, साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	299/1	4.400	0.647	..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	कोमलबाई पत्नि राघवेन्द्र सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	299/2	0.910
3	अजीत पिता चन्द्रभान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298/1	1.340	0.335	..
4	मालतीबाई पत्नि चंद्रभान सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298/2	2.660
5	श्री माखन, तुलसी, बाबूसिंह, शंकर, भाईराम, पिस. जगन्नाथ सिंह साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	298/3	1.320
6	गोविन्द पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	159/1	0.030	0.083	..
7	वीरसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	159/2 159/6	0.030 0.050
8	मंजूसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	159/3 159/9	0.030 0.040
9	देवीसींग पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	159/4	0.050
10	गोविन्द पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	159/5	0.050
11	विजयसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	159/7	0.050
12	हरीसींग पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	159/8	0.050
13	कमलसींग पिता राजेन्द्र सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	297/1	1.320	0.323	..
14	दीपेन्द्र पिता राजेन्द्र सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	297/2	1.32
15	साहब सिंह पिता सुरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी		296/1	0.770	0.263	..
16	प्रभुवन सिंह पिता गोदन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296/2	0.360
17	देवीसींग पिता सूरत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296/3	0.760	0.360	..
18	मोहनसींग वल्द सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296/4	0.770
19	सेवेन्द्र ना. वा. पिता अमोल, बली कृष्णाबाई वेवा अमोल साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	296/5	0.410	0.067	..
20	प्रताप सिंह पिता मंगल सिंह, मोहनबाई वेवा मंगल सिंह साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	259/8	1.010
21	लक्ष्मीनारायण पिता राम दरोगा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	259/6	1.010	0.020	..
22	माखन, तुलसी बाबूसिंह शंकर भाईराम पिसरान जगन्नाथ सिंह साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	259/7 257 254	1.010 0.350 0.950	0.067 0.222 0.287
23	प्रभुवन सिंह पिता गोदनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	259/5	2.080	0.110	..
24	नत्थूसिंह, रघवीर सिंह वल्द गजाधर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	226	0.020
25	मानसिंह पिता उत्तमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	256/1	0.700	0.148	..
26	महाराजसींग पिता उत्तमसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	256/2	0.730
27	श्रीसींग पिता उत्तमसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	256/3	0.720
28	चंद्रभान सिंह पिता कड़ोरी सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	255/1	0.040	0.282	..
29	प्रकाश सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता वीरसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	255/2 255/421/6	0.400 0.300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30	मंजूसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	255/421/1	0.300
31	देवीसींग पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	255/421/2	0.310
32	हरीसींग पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	255/421/3	0.300
33	वीरसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	255/421/4	0.300
34	विजय सिंह वल्द दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	255/421/5	0.300
35	त्रिवेणी जोजे जसवंत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	192/2	1.72	0.023	..
36	गोपीबाई बेवा राजेन्द्र, विजय, कल्याण पिता राजेन्द्र सींग साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	192/3 193/2	0.400 0.400	0.660 0.263	..
37	गोपाल सींग पिता दुरगसींग साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	192/4	1.31	0.203	..
38	जसवंत सिंह पिता छतरसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	193/1	0.820	0.180	..
39	रामनारायण पिता रामदरोगा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	193/3	1.00	0.227	..
40	गोपालसिंह पिता दुरगसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	193/4	1.660	0.187	..
41	विजयसिंह पिता राजेन्द्र सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	193/5	0.600	0.750	..
42	हाकमसींग पिता गोदनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	194 191/2	0.350 0.200	0.263
43	महताब, गनपत पिता घूमन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	97/1	0.500	0.772	..
44	रामेश्वर, मनमोद बालिग नरेन्द्र नाबालिग वल्द थोवन वली माँ स्वयं जानकीबाई बेवा भोवन साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	97/2	1.200
45	अशोक, अरविन्द पिता खेतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	97/4	1.130
46	जानकीबाई बेवा थोवन		97/3	0.600
47	हिम्मत पिता घूमन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	97/5	1.390
48	मेहताब पिता घूमन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	97/6	1.380
49	मोहन, कृष्णकुमार ना. वा. वल्द हिम्मत वली भाई मोहन साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	97/7	0.170
50	अशोक, अरविन्द, खेतीसंग	भूमिस्वामी	93	0.350	0.305	..
51	रामनाथ पिता गजराजसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	92/1	0.490	0.737	..
52	सुमतरानी बेवा रामसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	92/2	1.700
53	मान सींग पिता उत्तमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	161	0.340	0.161	..
54	कुवर सिंह, निर्भयसिंह, कल्याण सिंह पिसरान जगन्नाथ सिंह, तुलसाबाई, बेवा जगन्नाथ, सूरत पिता मनमोहन साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	160/1 160/419	0.040 0.120	0.207	..
55	प्रकाश, राजेन्द्र वल्द देवीसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	160/2	0.020
56	पृथ्वीसिंह पिता सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	160/3	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57	बालकिशन पिता पुन्नी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	164/425/1	0.240	0.215	..
58	देवकीबाई बेवा परसादी नीमाबाई द्रोपती पुत्री परसादी साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	164/425/2	0.240
59	भोकम पिता पुन्ना पता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	164/425/3	0.240
60	सुरेन्द्र सिंह वल्द रघुवीर सिंह, कल्याण नाबालिग वल्द वली नत्थूसिंह साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	183	0.860	0.211	..
योग . .			68	47.040	8.578	..

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली, जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, केसली, जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. (राजस्व), सागर की समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13-अ-82-16-17-806.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली, जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR (283)/2016 Bhopal Date 30-11-2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक वैध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे. परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

(1) परियोजना का नाम.—	परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण
(2) भूमि का विवरण.—	
1. जिला.—	सागर
2. तहसील.—	सागर
3. ग्राम.—	बक्सवाहा
4. पट. ह. नं.—	137
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल	2.583 है.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री हुकमचंद पिता पूरनचंद साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	479/1	3.410	0.030	..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	श्री सुनील कुमार पिता सुरेशचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	479/2	3.410		..
3	श्री वीरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ साकिन खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	474	1.820	0.307	..
4	नरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ साकिन खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	472	1.080	0.144	..
5	श्री बैजनाथ पिता अमान साकिन खैजरामाफी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	470/5	4.000	0.297	..
6	श्री हरिराम, दुरगसींग, सरदू, रज्जू पिता नारायण, हरीबाई, हीराबाई पुत्री नारायण साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	504/1	0.420	0.048	..
7	श्री महाराज सींग पिता बहादुर सींग, रगराज, इन्द्राज, इन्दुरसिंह, मलखान, रामजी, रामराज सिंह पिता रतनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	503	1.970	0.431	..
8	श्री गन्धर्व सिंह पिता विसुन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	506	1.070	0.120	..
9	श्री बाबूलाल हरपाल सिंह पिता विशुन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	508	1.370	0.216	..
10	श्री महेन्द्र सींग, छोटेसींग पिता जगतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	514	0.390	0.057	..
11	श्री राजासिंह पिता श्रीसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	654	0.750	0.006	..
12	श्री जाहर सिंह पिता श्रीसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	655	0.740	0.187	..
13	श्री राजाराम पिता रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	658/1	0.350	0.011	..
14	श्री सुदामा पिता रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	658/2	0.090
15	श्री सुदामा पिता रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	656/2	0.360	0.004	..
16	श्री मुन्ना पिता टीकाराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	641	1.210	0.379	..
17	श्री नन्हेवीर पिता खिलान सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	646	0.560	0.024	..
18	श्री अनिल कुमार पिता हुकमचंद जैन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	491/1	0.570
19	श्री राजेश कुमार पिता सुरेशचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	491/2	1.380	0.048	..
20	श्री गीताबाई पिता मुकेश साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	491/3	0.800
21	श्री जगतसींग पिता फूलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	507	1.230	0.024	..
22	श्री पारस नाबालिग पिता मुकेश वली माँ गीताबाई साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	478/1	1.320
23	राजेश कुमार वल्द सुरेशचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	478/2	2.64	0.250	..
24	प्रिंस नाबालिग पिता मुकेश वली माँ गीताबाई साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	478/3	1.330
योग . .			24	32.24	2.583	..

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली, जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, केसली, जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. (राजस्व), सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विकास नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. 83-2016-एलए-रा.प्र.क्र. 33-अ-82-2016-17.—राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 फरवरी 2014/सात/ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गयी है.

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को पलासी तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम सिरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र "ख" में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 (1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं. 17, ग्राम सिरा, राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन, कुल रकबा 3.89 हेक्टर

क्र.	भू-धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)	सिंचित रकबा (हेक्टर में)	असिंचित रकबा (हेक्टर में)	अन्य संपत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मांगीलाल पिता नत्थू	2	0.260	0.260	0.000	0.260	वृक्ष एवं पाईप लाईन
		3	0.690	0.420	0.420	0.000	
		4/1	0.300	0.200	0.200	0.000	
		योग	1.250	0.880	0.620	0.260	
2	गेंदालाल पिता नत्थू	4/2	0.540	0.360	0.360	0.000	वृक्ष
		4/7	0.400	0.280	0.280	0.000	
		योग	0.940	0.640	0.640	0.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	चेतराम पिता नत्थू	4 ¹ / ₄ 4 ¹ / ₃ / ₂	0.600 0.300	0.410 0.200	0.410 0.200	0.000 0.000	कुआ एवं पाईप लाइन
		योग . .	0.900	0.610	0.610	0.000	
4	मागत्या पिता चुन्नीलाल	4 ¹ / ₅	0.420	0.290	0.290	0.000	कुआ
5	धन्नलाल, मांगीलाल पिता नत्थू, गेंदाबाई विधवा नत्थू कलाबाई, दुगाईबाई पुत्री नत्थू	4 ¹ / ₆	0.640	0.440	0.440	0.000	वृक्ष
6	जमनालाल पिता नत्थू	4 ¹ / ₃ / ₁ 4 ¹ / ₈	0.300 0.200	0.200 0.140	0.200 0.140	0.000 0.000	वृक्ष
		योग . .	0.500	0.340	0.340	0.000	
7	हीरालाल पिता मल्लू	12	1.590	0.590	0.590	0.000	वृक्ष, पाईप लाईन
8	शांताबाई पति फूलचंद भागीरथ पिता फूलचंद मीराबाई मायाबाई पुत्री फुलचंद.	13	0.650	0.100	0.000	0.100	
		महायोग . .	6.890	3.890	3.530	0.360	

क्र. 84-2016-एलए-रा.प्र.क्र. 33-अ-82-2016-17.—राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 फरवरी 2014/सात/ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गयी है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को पलासी तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम रोहनाई के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र "ख" में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 (1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं. 17, ग्राम रोहनाई, राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन, कुल रकबा 7.15 हेक्टर

क्र.	भू-धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)	सिंचित रकबा (हेक्टर में)	असिंचित रकबा (हेक्टर में)	अन्य संपत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	लक्ष्मीनारायण पिता कडवा	159/1	2.060	0.080	0.080	0.000	वृक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	ददू, चंदू, पिता मायाराम अनोखीबाई, कृष्णा बाई पिता मयाराम.	161	1.840	1.450	1.450	0.000	वृक्ष कुआ एवं पाईप लाईन
3	ओमप्रकाश पिता ब्रजलाल	163/1	1.510	1.130	1.130	0.000	कुआ वृक्ष पाईप लाईन
4	राजेन्द्र पिता नन्दू	163/2	1.950	1.130	1.130	0.000	कुआ वृक्ष पाईप लाईन
5	नीलाबाई पति नंदू	164 167	0.860 0.050	0.860 0.050	0.860 0.000	0.000 0.050	वृक्ष
		योग . .	0.910	0.910	0.860	0.050	
6	मांगीबाई पति शोभराम नानीबाई विधवा पन्नालाल, गज्जू, अभय पिता पन्नालाल आ.पा. नानीबाई बसुबाई.	166 168	0.260 0.740	0.150 0.450	0.000 0.450	0.150	वृक्ष
		योग . .	1.000	0.600	0.450	0.150	
7	गंगाराम धीर नथू मांगीलाल पिता भिका खुश्यालीबाई विधवा भिका.	169 189	0.510 0.990	0.200 0.150	0.200 0.000	0.000 0.150	वृक्ष
		योग . .	1.500	0.350	0.200	0.150	
8	झुमई बाई विधवा तोताराम नानकराम गोपाल, गोविन्द पिता तोताराम कमलाबाई धनई बाई मुन्नीबाई अमरावती.	171	0.800	0.800	0.800	0.000	वृक्ष, पाईप लाईन, ट्यूबवेल.
9	बबलू, फत्तू शंकर ताराचंद पिता किशन.	173 174	1.420 1.210	0.660 0.040	0.660 0.040	0.000 0.000	कुआ, वृक्ष
		योग . .	2.630	0.700	0.700	0.000	
		महायोग . .	14.200	7.150	6.800	0.350	

क्र. 82-2016-एलए-रा.प्र.क्र. 34-अ-82-2016-17.—राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 फरवरी 2014/सात/ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गयी है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को पलासी तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम पलासी के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र "ख" में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 (1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर

कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं. 14, ग्राम पलासी, राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन, कुल रकबा 24.35 हेक्टर

क्र.	भू-धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)	सिंचित रकबा (हेक्टर में)	असिंचित रकबा (हेक्टर में)	अन्य संपत्ति (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	नत्थूसिंह पिता चंद्रसिंह	731	3.510	3.510	3.510	0	वृक्ष
2	सुरेश पिता विटठलराव	732	2.000	2.000	2.000	0	निरंक
3	गुलाब पिता रामसिंह	733	2.000	2.000	2.000	0	वृक्ष
4	प्रेमलाल पिता चेताराम	734/1	1.200	1.200	1.200	0	वृक्ष, मकान
		734/2	0.800	0.800	0.800	0	
		735	4.050	4.050	4.050	0	
		योग	6.050	6.050	6.050	0	
5	सुखलाल पिता गन्या	742	1.200	1.040	1.040	0.000	निरंक
6	गंगाराम पिता डोंगरसिंह	741	0.580		0.580	0.000	मकान
7	राजनारायण (कालू) पिता गंगाराम.	741	0.580	0.000	0.000	0.000	निरंक
8	उत्तम पिता लच्छूराम	741	0.580	0.000	0.000	0.000	मकान
9	गब्बर पिता जामसिंग	741	0.580	0.000	0.000	0.000	मकान
10	धमेन्द्र पिता राजाराम	741	0.580	0.000	0.000	0.000	मकान
11	शिवकुमार पिता गंगाराम	741	0.580	0.000	0.000	0.000	मकान
12	अब्बास पिता मजीगखां	746	2.290	0.750	0.750	0.000	निरंक
13	फत्तू पिता कालया	740	0.980	0.980	0.980	0.000	वृक्ष
14	भैयालाल पिता नत्थू, कलाबाई, मखईबाई, भागवतबाई पुत्री नत्थू	747	1.740	0.550	0.550	0.000	निरंक
15	अमरा, ठाकुर, भाईराम पिता नाना.	759/1	1.820	1.380	1.380	0.000	निरंक
16	हुकुम पिता नवल	759/2	1.800	1.100	1.100	0.000	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	पर्वतसिंह दुलेसिंह पिता भगवानसिंह.	792 793	0.220 0.420	0.220 0.420	0.000 0.000	0.220 0.420	निरंक
		योग	0.640	0.640	0.000	0.640	
18	कडवा पिता तोताराम पिता मोजीलाल.	760	1.210	0.070	0.070	0.000	निरंक
19	कलाबाई पति शंकर	743	2.160	0.050	0.050	0.000	निरंक
20	मयाराम पिता पूनाजी	729/5	0.220	0.220	0.000	0.220	निरंक
21	मांगीलाल पिता पूनाजी	729/4	0.220	0.120	0.000	0.120	निरंक
22	श्यामलाल कडवाजी, रामलाल मिश्रीलाल पिता धन्या.	726	1.040	0.150	0.000	0.150	निरंक
23	रमेश पिता छजू	714	0.620	0.300	0.300	0.000	निरंक
24	धनईबाई बेवा कन्हैया, गणता, नारायण, रामलाल पिता कन्हैया.	703	0.510	0.050	0.000	0.050	निरंक
25	छोगा, सुरेन्द्र संतोष पिता मांगीलाल, श्यामईबाई विधवा मांगीलाल, कंचनबाई पुत्री मांगीलाल.	704	1.950	0.350	0.000	0.350	कुआ
26	गुरूलालसिंह पिता सागरसिंह शासकीय भूमि.	730	0	0	0	0	मकान
27	रब्बासिंह पिता सागरसिंह शासकीय भूमि.	730	0.000	0.000	0.000	0.000	मकान
28	औंकारसिंह पिता सागरसिंह-शासकीय भूमि.	730	0.000	0.000	0.000	0.000	मकान
29	नानीबाई पिता सागरसिंह- शासकीय भूमि.	730	0.000	0.000	0.000	0.000	मकान
30	इंदरसिंह पिता जामसिंह शासकीय भूमि.	730	0.000	0	0	0	मकान
31	नत्थू पिता सुक्या	713 712 708	1.070 2.230 1.230	0.340 1.120 1.000	0.000 0.000 0.000	0.340 1.120 1.000	वृक्ष कुआ

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 3 मार्च 2017

प्र. क्र. 9-अ-82-2016-17-4016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में नागदा-धार-गुजरी मार्ग (एस.एच. 31) के निर्माण हेतु ग्राम-आंवल्या, तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम—आंवल्या

तहसील—धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नागदा-धार-गुजरी मार्ग (एस.एच.-31) के निर्माण हेतु.	0.290	0.000	0.290
योग . .		0.290	0.000	0.290

अनुसूची (2)

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	राजाराम, सीताराम पिता शम्भू रमेश ना. बा. पिता शम्भू पालनकर्ता माता सुगरीबाई पति स्व. शम्भू जाति भील निवासी ग्राम-आंवल्या.	34	0.746	0.000	0.746	0.050	0.000	0.050
2	सीताराम, राजाराम, रमेश पिता दगड़ीया व सेतुबाई, सुगरीबाई पति स्व. दगड़ीया, छितरिया, बोन्दर, मंजा, बंशीया मोहन पिता नगू सोमलीबाई पति स्व. ननू सेतुलबाई बंसतीबाई, शारदाबाई पिता नगू जंगल्या भुरीबाई पिता गोपाल, शांताबाई, रेशमबाई, हीरा, छोग्या, केशरिया पिता टुकडिया जाति भील निवासी ग्राम-आंवल्या.	36/1	0.329	0.000	0.329	0.100	0.000	0.100
3	भूरीबाई पति मगन, सोहन पिता मगन जाति भील निवासी ग्राम आंवल्या.	36/2	0.342	0.000	0.342	0.115	0.000	0.115
4	रेवलसिंह, सोहन करण पिता मगन, सायरबाई भूरीबाई पति स्व. मगन जाति भील निवासी ग्राम आंवल्या.	36/3	0.329	0.000	0.329	0.025	0.000	0.025
योग . .			1.746	0.000	1.746	0.290	0.000	0.290

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 4 मार्च 2017

प्र. क्र. 18-अ-82-2015-16-भू-अर्जन-2017.— भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन.—

- (क) जिला.— टीकमगढ़
 (ख) तहसील.— टीकमगढ़
 (ग) नगर/ग्राम.— बुडैरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल.— 96.045 हेक्टर.

क्र.	कास्तकार/कब्जेदार भूमिस्वामी का नाम (2)	खसरा नम्बर (3)	अर्जित रकबा (4)
1	हरप्रसाद त. जानकी प्रसाद ब्रा. 1/3 हि. शीला बेवा बल्देव प्रसाद, अशोक कुमार राकेश कुमार विनोद कुमार महेश कुमार त. बल्देव प्रसाद ब्रा. 1/6 हि. उमा बेवा रामनाथ वीरेन्द्र कुमार जयप्रकाश वृजमोहन रामेश्वर त. रामनाथ ब्रा. 1/2 हि.	2222	0.227
		1	0.227
2	काशीराम त. कसिया 1/8 हि. परमलाल रामकिशन त. भगवानदास 5/48 हि. शीला मनवू पुत्री भगवानदास साहू 1/48 हि. मनोहर तनय गोंचा मानकुमारी पुत्री गोंचा पत्नि हरप्रसाद 1/8 हि. कस्तूरी पत्नि कन्दू 1/2 हि. गिल्लू पुत्री गनेशा साहू 1/8 हि. जाति तेली नि. ग्रामी.	2219 2220	0.417 0.113
		2	0.530
3	श्री ठाकुर विजय राधव जी महाराज भूमि स्वामी	2213 2214 2215 2216 2218	0.129 0.150 0.130 0.012 0.080
		5	0.501
4	हरदास तनय भगौना जाति चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2319	1.000
		1	1.000
5	मथरा, हल्काई तनय चिंखा जाति तेली नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2192	0.062

(1)	(2)	(3)	(4)
		2193	0.178
		2194	0.214
		2196	0.053
		2197	0.579
		2198	0.125
		6	1.211
6	गौरीशंकर, परमानन्द, प्यारेलाल नन्नेलाल दामोदार मखन किलेदार त. कुट्टू कमतुवा तनय चतरा कुइयां शांति पुत्री चतरा 1/3 हि. मथरा हल्काई तनय चिंखा तेली 2/3 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2195	0.020
		2188	0.223
		2	0.243
7	बाबूलाल हरिराम लखनलाल त. जानकी गौरीबाई बेवा जगन्नाथ रामस्वरूप राजाराम रामगोपाल तनय जगन्नाथ 1/2 हि. रती पुत्री मुन्नालाल जाति ब्राम्हण 1/4 हि. रमेश प्रसाद, जगदीश प्रसाद रामेश्वर प्रसाद तनय सीताराम ब्राम्हण 1/4 हि. बराबर नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2199	0.073
		2200	0.081
		2201	0.166
		2202	0.049
		2203	0.300
		2204	0.186
		2210	0.267
		7	1.122
8	शांति बेवा गोरेलाल कमलेश कुमार रामगोपाल त. गोरेलाल पुष्पा पुत्री गोरेलाल जाति बाढई नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2016	0.250
		2017	0.036
		2	0.286
9	राजाराम, रामगोपाल तह. गौरीशंकर, कमला, विमला, रामरती सुनीता उमा पुत्री गौरीशंकर बैश्य 1/2 हि. लच्छीबाई बेवा कुट्टू चैनु धर्मदास, देवीचरन त. कुट्टू, मेवा राजकुंवर, मुन्नी पुत्री कुट्टू 1/6 अच्छेलाल नन्नेभैया तह. खलकू 1/3 हि. जाति यादव नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	2019	0.283
		2020	0.040
		2	0.323
10	लच्छीबाई बेवा कुट्टू मौनलाल धर्मदास बन्दू तनय कुट्टू नन्नेभैया अच्छेलाल त. खलकू जाति यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2021	0.069
		1	0.069
11	जगदीश तह. कूरे 1/8 हि. जगदीश रामरतन सूरज सिंह वीरन मानसिंह त. कूरे यादव 1/8 हि. हरिराम पातीराम तनय गनपत रामरती छाया पुत्री गनपत मु. रूपा बेवा गनपत 1/4 हि. कन्हैया त. भगोना 1/16 हि. सदुवा मुन्नी तनय मोती 1/16 हि. भइयन बाबू उम्मेदा चुटू त. गोकल नन्नी पुत्री गोकल यादव 3/8 हि.	2045	0.210
		2046	0.194
		2047	0.380
		2051	0.097
		2059	0.140
		5	1.021
12	जगदीश त. कूरे यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2049	0.089
		1	0.089

(1)	(2)	(3)	(4)
13	भइयन बाबू उम्मेदा चुटू तनय गोकल 1/3 हि. कन्हैया तनय भगोना 1/6 हि. सदुवा मुन्नी तनय मोती, रामकुंवर, बाबा, वती, गुनगू पुत्री मोती यादव 1/6 हि. बाबू नथुवा मौनलाल धर्मदास रामदयाल तनय दुर्जन 1/3 हि. जाति यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2050 2062 2066 2067 2069 2070	0.140 0.194 0.308 0.105 0.065 0.081
		6	0.893
14	भइयन, बाबू उम्मेदा चुटू तनय गोकल यादव निवासी ग्रामी भूमि स्वामी हि. बराबर.	2048	0.324
		1	0.324
15	जगदीश, रामरतन सूरज सिंह वीरन सिंह मानसिंह त. कूरे यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2052	0.255
		1	0.255
16	बारेलाल उर्फ गुटरा तनय झुल्ली यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2065	0.291
		1	0.291
17	बाबू, नथुवा मौनलाल, धर्मदास, रामदयाल त. दुर्जन 2/9 हि. भइयन बाबू उम्मेदा चुटू तनय गोकल नन्नी पुत्री गोकल 2/9 हि. कन्हैया तनय भगोना सदुवा मुन्नी त. मोती रामकुंवर, बाबा, वती, गुनगू पुत्री मोती 2/9 हि. बारेलाल उर्फ गुटरा त. कुल्ले यादव 1/3 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2060 2061 2063 2064 2068	0.400 0.057 0.069 0.433 0.069
		5	1.028
18	सदुवा मुन्नी त. मोती 1/2 हि. नत्थू रामदयाल तह. दुर्जन शांति पत्नि बाबूलाल 1/2 हि. जाति यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2072 2073 2074 2067/3099	0.384 0.364 0.190 0.121
		4	1.059
19	काशीराम त. बंशी हि. 1/2 परमलाल रामकिशन तनय भगवानदास हि. 1/2 जाति साहू नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2078/2 2079/2 2088/2/2 2089/1/2 2091/2 2093/2/2 2094/2/2	0.410 0.520 0.036 0.024 0.029 0.148 0.029
		7	1.196
20	हुल्ला तनय सुक्का बुनकर 1/2 हि. दयाराम त. चिंखे जाति साहू 1/2 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2080/2 2081/2	0.585 0.698

(1)	(2)	(3)	(4)
		2083/2	0.241
		2084/2	0.178
		2085/2	0.124
		2086/2	0.276
		2087/2	0.200
		7	2.302
21	मनकू खां तनय धूमन खां मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2296	0.701
		2300	0.352
		2	1.053
22	मु. रामप्यारी बेवा जुग्गा जाति चढार नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2038/2/1	0.500
		1	0.500
23	जंगला, कपूरा त. दमरा संतर पत्नि जंगला विद्या पत्नि कपूरा चमार हि. बराबर नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2038/2/2	0.800
		1	0.800
24	बाबूलाल त. छत्ते चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2041/3/2	0.700
		1	0.700
25	रमेश त. मलखू बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2041/3/4	0.700
		1	0.700
26	रामचरन त. पंखुवा जाति चमार, नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2041/3/5	0.700
		1	0.700
27	ग्यासिया तह. कमतुवा चमरा नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2041/6/2	1.000
		1	0.1000
28	परमलाल, रामकिशन तह. भगवानदास जाति तेली हि. 5/6 शीलाबाई, मनबाई पुत्री भगवानदास हि.1/6 भूमि स्वामी.	2812/2	0.624
		1	0.624
29	ललितया बेवा सुक्का नत्थू पप्पू बालाराम मुकेश त. सुक्का रति कोमल ऊषा पुत्री सुक्का जाति बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2758	0.721
		1	0.721
30	अबरार मोहम्मद त. इशरार मोहम्मद जाति कुरैशी नि. टीकमगढ़ भूमि स्वामी.	2670	0.607
		2671/1/2	1.393
		2	2.000
31	गौरीशंकर, परमानन्द, प्यारेलाल, नन्नेलाल, दामोदर, मकखन किलेदार तनय कुटटू 1/2 हि. बरा. रामचरन, दीपचन्द्र धनीराम तनय भगवानदास तेली 1/2 हि.बरा. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	2666/4	1.200
		2671/2	0.113
		2	1.313
32	बिनई पत्नि हजारी परमानंद प्यारेलाल, नन्नेलाल दामोदर गौरीशंकर, मकखन मोहन तनय हजारी जाति साहू हि. बरा. भूमि स्वामी.	2110	0.101
		1	0.101

(1)	(2)	(3)	(4)
33	जसरथ तनय बारेलाल, शांति चिन्टू हरबू केशर उर्फ नन्नीबेन पुत्री बारेलाल 1/2 हि. काशीराम त. बंशी 1/4 हि. परमानन्द रामकिशन त. भगवानदास 5/24 हि. बरा. शीला मनबू पुत्री भगवानदास 1/24 हि. बरा जाति साहू नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2666/2	0.300
		1	0.300
34	इशाक मोहम्मद त. केशर मोहम्मद 2/5 हि. दशरथ त. बारेलाल बिही उर्फ जसुदिया हरबू त. बारेलाल 3/5 हि. बरा. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2094/2/1	0.028
		1	0.028
35	परमा तनय हरबला चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2112/2	1.971
		1	1.971
36	जगदीश त. खुमान 1/2 हि. रामचरन, दीपचन्द्र तनय भगवानदास 1/6 हि. बालकिशन त. कूरा 1/12 हि. गौरीशंकर परमानन्द प्यारेलाल नन्नेलाल दामोदर मक्खन मोहन तह. कुटटू विनइयां बेवा कुटटू जाति तेली नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2666/3	0.312 0.069 0.129 0.599 0.162 1.149 0.138 0.279 0.081 0.053 0.425 0.138 0.800
		13	4.334
37	सुरेश त. सूका बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2034/6	0.500
		1	0.500
38	राजू तह. सुरेश जाति कुम्हार नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2034/5	0.500
		1	0.500
39	राजू गनेशी त. तिजुवा चढार नि. ग्रामी भूमि स्वामी हिस्सा बराबर	2034/4	0.500
		1	0.500
40	भगवानदास तनय मकुन्दी जाति कुम्हार नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2034/3	0.500
		1	0.500
41	लछुवा त. पंखुवा जाति चढार नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2034/1/1	0.500
		1	0.500
42	कालीचरन त. दमरा ढीमर नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2034/1	1.619
		1	1.619
43	मौनलाल त. भरोसा चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2031 2032 2044/1	0.174 0.429 0.449
		3	1.052

(1)	(2)	(3)	(4)
44	अच्छेलाल त. गनेशा जाति काछी नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2038/2	2.023
		1	2.023
45	परसादी त. हल्के ढीमर 1/2 हि. मुकेश मथरा तह. परसादी ढीमर 1/2 हि. बराबर नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2038/4	2.000
		1	2.000
46	रूपलाल शोभाराम बालाराम श्रीराम त. रामकिशोर जाति ब्रा. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	1807 1808	0.509 0.785
		2	1.294
47	शिवकली बेवा जमना प्रसाद राजेश कुमार मुकेश कुमार तनय जमना प्रसाद 3/10 हि. आशारानी बेवा वृजनेश आलोक अभिषेक त. ब्रिजनेश 1/10 हि. अनीता बेवा कमलेश प्रसन्न, हर्ष. त. कमलेश 1/10 हि. बरा. किशोरी देवी लीला देवी बेवा लक्ष्मीप्रसाद कृष्णकुमार ओमप्रकाश अशोक कुमार संतोष कुमार तह. लक्ष्मीप्रसाद ब्रा. 1/2 हि. बरा. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2286 2287 2288	0.116 0.040 0.020
		3	0.176
48	कृष्णकुमार, ओमप्रकाश, सन्तोष अशोक कुमार तनय लक्ष्मीप्रसाद आशा, मीरा, रश्मि, पुष्पा पुत्री लक्ष्मीप्रसाद, लीलादेवी, किशोरी देवी पत्नियां लक्ष्मीप्रसाद ब्राम्हण 1/2 हि. बरा. राजेश कुमार मुकेश कुमार त. जमना प्रसाद 1/6 हि. बरा. शिवकली पत्नि जमना प्रसाद 1/12 हि. रचना पुत्री जमना प्रसाद 1/12 हि. आशा बेवा ब्रजनेश आलोक अभिषेक त. ब्रजनेश अलका पुत्री ब्रजनेश 1/12 अनीता बेवा कमलेश हर्ष प्रसन्न त. कमलेश दोना ना. बा. सर. माता अनीता बेवा कमलेश ब्रा. 1/12 हि. बरा. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2226 2227 2228 2229 2230 2289	0.081 0.105 0.036 0.036 0.028 1.218
		6	1.504
49	श्री ठाकुर मंदिर विजय राधव जू भूमि स्वामी	2280 2281 2282 2283 2284 2285	0.239 0.559 0.634 0.061 0.113 0.036
		6	1.642
50	रामबाई पत्नि जसरथ कुशवाहा 1/3 हि. राजेश कुमार, राकेश कुमार, त. कन्दीलाल जाति सोनी, 2/3 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2278	0.300
		1	0.300
51	नथुवा, कमतुवा त. ढोलू 1/2 हि. बरा. नाथूराम त. हल्के काछी 1/2 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2239 2241 2242	0.020 0.022 0.040
		3	0.082
52	हीरालाल त. रामप्रसाद तेली नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2921	0.235
		1	0.235
53	रामदयाल, हरबल तनय कमतुवां 1/2 हि. बरा. रामदास रामरतन त. परमा 2/5 हि. बरा. बैनीबाई तुलसिया कमला पुत्री परमा 1/10 हि. जाति गड़रिया नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2012	0.800
		1	0.800

(1)	(2)	(3)	(4)
54	रूपलाल, शोभाराम, बालाराम, श्रीराम तनय रामकिशोर जाति ब्रा. 1/2 हि. भूपत त. सुक्का 1/6 हि. चैपा, गोरेलाल, आशाराम त. हल्का 1/8 हि. चैपा, गोरेलाल, आशाराम तह. हल्का, भागवती पुत्री हल्का 1/24 हि. नथुवा त. छत्ता 1/6 हि. जाति काछी नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2994 2995 2996 2997 2998 2999	2.978 0.053 0.315 0.061 1.311 0.938
		6	5.656
55	तेज खां करामात खां मुमताज खां तनय इद्दू खां सलीम रहीमत तनय खूब खां जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2632 2633 2634 2636 2644	0.214 0.154 0.142 0.020 0.283
		5	0.813
56	मु. हसमत बेवा सुबान अकबर रहमान रमजान बफाती तनय सुबान खां. जाति बैना नि. ग्रामी हि. बरा. भूमि स्वामी.	2647/2 2655/1 2648/2	0.004 0.170 0.089
		3	0.263
57	हसन मुहम्मद उर्फ खुज्जू तनय शेर खां जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2645 2646 2647	0.113 0.676 0.024
		3	0.813
58	रतीराम बाबा त. रंजीता गोकल तनय रज्जू ननू तनय ठोलू जाति तेली नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2297 2904 2905	0.360 0.069 0.417
		3	0.846
59	ननू त. ठोलू, रतीराम बाबा तनय रंजीता गोकल तनय रज्जू जाति तेली 1/2 हि. मनकू खां त. घूमन खां जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2291 2298 2299	0.154 0.073 0.109
		3	0.336
60	मु. तिजिया बेवा बल्दुवा मिहीलाल कुट्टर, सुकना पप्पू तह. बल्दुवा 1/6 हि. धीरा कसिया नन्दलाल त. रमुवा 1/6 हि. कडोरी त. ग्या 1/3 हि. भगवानदास त. कुन्जी 1/3 हि. जाति लोधी नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	1500 1501	0.220 0.035
		2	0.255
61	हरबू, शांति पुत्री जनकिया 1/3 हि. छितिया पुत्री दलुवा 1/3 हि. धर्मदास त. बल्दुवा 1/3 हि. जाति ढीमर नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2302	0.198
		1	0.198
62	बड़ी गुडडी, हल्की गुडडी पुत्री रमजुवा जाति बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी	1806	0.117
		1	0.117

(1)	(2)	(3)	(4)
63	लक्ष्मण, रामप्रसाद त. सुटियां 1/3 हि. गोरेलाल किशोरी त. मलखू 1/3 हि. कडोरी त. कूरा 1/3 हि. जाति चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2703/1	0.138
		1	0.138
64	हल्ला त. कमला बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2703/2 2704	0.141 0.077
		2	0.218
65	शांति बेवा नन्दकिशोर, धर्मेन्द्र त. नन्दकिशोर जाति बरई नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2708/2 2709	0.243 0.077
		2	0.320
66	कमतू तनय मुलुवा ढीमर नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2746/2	1.000
		1	1.000
67	श्रीमती बहीदन पत्नि मुमताज खां जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2637 2892/2	0.186 0.008
		2	0.194
68	रामलली पत्नि शोभाराम जाति ब्राम्हण नि. ग्रामी भूमि स्वामी	2901/2	0.219
		1	0.219
69	मुलिया बेवा भुमनिया नाथूराम, धनीराम, रामदास त. भुमनिया सौर नि. ग्रामी.	2909/1 2910 2914/1	0.259 0.271 0.259
		3	0.789
70	मुन्ना, मथरा तनय थुल्लू केशरबाई पुत्री थुल्लू जाति बाढई 1/2 हि. बरा. नन्नीबाई पत्नि हीरालाल, ध्रुवलाल, रामप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद तनय हीरालाल तुलसा, रामरती पुत्री हीरालाल 1/2 हि. बरा जाति बाढई नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	3135/2537 3138/2538	0.134 0.267
		2	0.401
71	दयाराम, तिज्जू नंदलाल तनय हरचरण जाति कुशवाहा नि. डिकौली भूमि स्वामी.	1509 1517/1	0.380 0.400
		2	0.780
72	अच्छेलाल, ग्यासी, जसरथ तनय गनेशा अर्जुन तनय नन्नु 1/4 गिल्ला, चैनु, भुल्ली तनय जूजा 1/4 ना. बा. दयाराम उत्तम तनय हीरा त. करिया 1/4 हरिया तनय परमुवा 1/4 जाति काछी नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	2681/1 2682/3 2683/3 2699/3 2700/2 2909/2 2912/1 2912/2 2914/2 2915 2916 2917/2	0.040 0.300 0.040 0.527 0.073 0.304 0.004 0.012 0.113 0.287 0.028 0.486
		12	2.214

(1)	(2)	(3)	(4)
73	कौशिल्या पत्नी धर्मदास यादव नि. ग्रामी भूमिस्वामी	1517/2 1518	1.443 0.097
		2	1.540
74	नत्थू खां रहीम खां तनय खुदाबक्श 1/2 हि. बरा. करीम बक्श त. जानकी 1/2 हि. जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	2654/2 2655/2 2656 2657/2 2658 2659/2 2682/2 2683/2 2699/2	0.121 0.057 0.049 0.494 0.571 0.227 0.008 0.178 0.219
		9	1.924
75	मुल्लु हल्कइयां त. नथुवा धोबी नि. ग्रामी भूमिस्वामी	1600 1604 1622 1623	0.093 0.057 0.113 0.101
		4	0.364
76	धर्मदास तनय जसरथ जाति यादव नि. ग्राम भूमिस्वामी	1595 1596 1598 1599 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1617	0.405 1.590 0.243 1.259 0.825 0.417 0.502 0.178 0.890 0.125 0.146 0.024 2.200
		13	8.804
77	जानकी, नन्नू रजुवा, मुन्नी तनय उमराव धोबी नि. ग्रामी भूमिस्वामी	1592 1603 1605 1606 1624 1625	0.140 0.243 0.016 0.198 0.061 0.057
		6	0.715
78	गोरेलाल, अजुध्या, बल्दू प्रसाद त. मलखू चमार नि. ग्रामी भूमिस्वामी	2712/2	1.987
		1	1.987

(1)	(2)	(3)	(4)
86	करिया, बालाराम भूरा तनय धर्मा 1/2 हि. बरा. भुल्ली तनय अठइयां 1/4 हि. हि. उमदी हि. उमदी बेवा बंशिया हरबू पुत्री बंशिया 1/4 हि. बरा.	1225 1226 1221 1219	0.065 0.069 0.045 0.020
		4	0.199
87	उज्जी ध्यानी प्रेम त. धुन्नी गोरेलाल बल्देव प्रासद अजुददी तनय मलखू कैंचू त. अडकुवा नन्नीबाई रामलाल, राजाराम त. कडोरा, कोमल, पाना नौनीबाई पुत्री कडोरा हि. 1/3 मु. कौशिया बेवा मलखू हरदास रमलू जसरथ तनय मलखू 1/3 हि. पंखुवा भुनिया तनय गनपता सीताराम घन्सू बाबूलाल जगप्रसाद त. रमदीना 1/3 हि. जाति चमार.	1218	0.010
		1	0.010
88	चन्द्रभान चतुर्भुज अम्बिका रामबाबू तनय लक्ष्मीप्रसाद मु. माया बेवा लक्ष्मीप्रसाद जाति ब्राह्मण नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	1033	0.040
		1	0.040
89	मु. माया बेवा लक्ष्मीप्रसाद चन्द्रभान चतुर्भुज अम्बिका प्रसाद रामबाबू त. लक्ष्मीप्रसाद गनेशी त. सरजू ब्राह्मण नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	1037/1	0.040
		1	0.040
90	मु. बडागांव बाई बेवा झलुवा 1/2 हि. कन्नू तनय सुक्कु 1/4 हि. गनपत, लक्ष्मन, रामचरन तह. पंखुवा, रामकुंवर पुत्री पंखुवा 1/4 हि. जाति चमार नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	1037/2	0.040
		1	0.040
91	अशोक कुमार जमुना प्रसाद तयन धर्मदास लहार 1/2 हि. मुलिया पुत्री पुन्दुवा 3/16 हि. प्यारीबाई पुत्री पुन्दुवा 1/16 हि. बारेलाल तनय नथुवा नन्नीबाई पुत्री नथुवा 1/4 हि. जाति अहिरवार नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	1027 1028 1029 1030 1031	0.150 0.166 0.344 0.089 0.057
		5	0.806
92	हुल्ला त. सुक्का बुनकर नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	2616/3156 2616/3158	0.081 0.101
		2	0.182
93	रामगोपाल, बसन्त कुमार तनय विश्वनाथ ब्राह्मण नि. ग्रामी भूमिस्वामी	1021 1025	0.025 0.050
		2	0.075
94	रामदयाल त. कमतुवा 1/2 हि. मुन्नू उमराव रतीलाम तनय बल्दुवा 1/4 हि. जगदीश, हरीराम त. गोरेलाल 1/4 हि. जाति गडरिया नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	2777/1	0.316
		1	0.316
95	ख्वाजा बक्स तनय शेर खां मुसलमान नि. बुडेर भूमिस्वामी	3154/2616 3159/2616	0.089 0.097
		2	0.186

(1)	(2)	(3)	(4)
96	रामबाई बेवा बाबू गोरेलाल मथुरा प्रकाश तनय बाबू जाति चढार नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	3155/2616 3157/2616	0.040 0.121
		2	0.161
97	भरोसा तनय बरजोरा 1/2 हि. भरोसा कडोरा किडऊ त. बरजोरा जाति साहू 1/2 हि. बरा नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	2816/2 2897/3 2919/2 2898/1	0.081 0.004 0.433 0.134
		4	0.652
98	रामनाथ त. गनपत जाति चढार नि. ग्रामी भूमिस्वामी	2034/2	0.500
		1	0.500
99	खमन्ना, हल्की त. सन्नु जुमरत पत्नी लल्लू खां अनवर अकबर तनय लल्लू खां जमीला जरीना अनीसा पुत्री लल्लू खां करीमन पत्नी रोशन खां इब्राहीम इदरीश त. रोशन खां सितारा पुत्री रोश खां रज्जब खां, बाबू खां कासिम खां इशाक खां तनय नन्ना खां नूर मोहम्मद अली मोहम्मद बसीर मोहम्मद त. बादल खां सरीफन मदीना पुत्री बादल खां मकसूद खां जुम्नन खां सुवराती तनय तिजुवा प्यारीबाई उल्फत हलीमन नूरन पुत्री तिजुवा फूल खां तनय हल्की रसूल खां रहमान खां तनय बजीर खां रसीद खां आसिफ खां तनय बहादुर हसीना पुत्री बहादुर नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	2679	3.120
		1	3.120
100	चैनु, परमू. कल्लू तनय अच्छेलाल 1/2 भुल्ला लक्ष्मन छक्की जगू त. बल्लुवा 1/2 हि. जाति काछी नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	2901/1 3001	0.057 2.117
		2	2.174
101	जुमरत पत्नी लल्लू खां अनवर, अकबर त. लल्लू खां जमीला जरीना अनीसा पुत्री लल्लू खां 1/24 हि. करीमन पत्नी रोशन खां इब्राहीम इदरीश त. रोशन खां. सितारा पुत्री रोशन खां 1/24 हि. रज्जब खां बाबू खां कासिम खां इशाक खां तनय नन्ना खां 1/6 हि. नूर मोहम्मद अली मोहम्मद बसीर मोहम्मद त. बादल खां शरीफन, मदीना पुत्री बादल खां 1/4 हि. मकसूद खां, जुम्नन खां सुवराती तनय तिजुवा प्यारीबाई उल्फत हलीमन नूरन पुत्री जितुवा 1/4 हि. फूल खां तनय हल्की 1/8 हि. रसूल खां रहमान खां त. बजीर खां 1/12 हि. रसीद खां आसिफ खां तनय बहादुर हमीना पुत्री बहादुर 1/24 हि. जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमिस्वामी	2617 2618 3192/2679	0.078 0.046 0.049
		3	0.173
102	जगदीश, बाबूलाल हजारीलाल भैयालाल सन्तोष तनय हरिराम साहू नि. बुडेरा भूमिस्वामी.	2742/2	0.397
		1	0.397
103	चैनु, परम कल्लू तनय अच्छेलाल 1/4 हि. बरा. भुल्ला लछमन छक्की जगू त. बल्लुवा 1/4 हि. बरा. नथुवा कमतुवा त. ठोलू 1/4 हि. बरा. नाथूराम त. हल्के काछी 1/4 हि. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	2231 2232 2233 2239 2240	0.057 0.045 0.210 0.020 0.198
		5	0.530

(1)	(2)	(3)	(4)
104	रामप्यारी पुत्री ठोलू काछी नि. ग्रामी भूमिस्वामी	2235/2 3147/2541 3149/2541	0.109 0.093 0.077
		3	0.279
105	नाथूराम त. हल्के काठी नि. बुडेरा भूमिस्वामी	2234/1 2234/2 2539 2541 3152/2536 3137/2539 3140/2539 3148/2541 3146/2541 2542/3143	0.105 0.105 0.154 0.162 0.036 0.125 0.085 0.049 0.065 0.085
		10	0.971
106	नथुवा, मकतुवा त. ठोलू 1/2 हि. बरा. नाथूराम तह. हल्के 1/2 हि. जाति काछी.	2540 3139/2537	0.154 0.174
		2	0.328
107	नथुवा, कमतुवा तनय ठोलू काछी नि. ग्रामी भूमिस्वामी	3145/2541 2235/1 2539/3141 2539/3142 2536	0.109 0.109 0.085 0.085 0.018
		5	0.2476
108	गुनऊ त. मकुन्दी यादव 1/2 हि. झुल्लू चुन्नाई बेवा लछमन मानकुंवर मिथला देवका जानकी रामसखी पुत्री लछमन 1/2 हि. बराबरयादव नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	2797/3 2798/2	0.247 0.093
		2	0.340
109	जगदीश, रामरतन वीरन सूरज सिंह मानसिंह तनय कूरे जाति यादव नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	2831/2	0.607
		1	0.607
110		2872/2	0.492
		1	0.492
111	हरप्रसाद त. जानकारी प्रसाद 1/3 हि. बल्देव प्रसाद त. राधाचरण 1/6 हि. उमा बेवा रामनाथ वीरेन्द्र कुमार जयप्रकाश वृजमोहन रामेश्वर त. रामनाथ 1/2 हि. जाति ब्रा. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.	2163 2164 2165 2167 2168 2169 2170 2171	0.360 0.134 0.202 0.049 0.028 0.085 0.073 0.024

अनुसूची (2)

नंदावता तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण ग्राम नंदावता

स. क्र.	नाम कृषक मय पिता/ पति का नाम (2)	खसरा नंबर (3)	कुल भूमि का रकबा (4)	अर्जित किये जाने वाला रकबा			अन्य मलकियत (8)
				सिंचित (5)	असिंचित हे. (6)	कुल (7)	
1	धापुबाई बेवा राजमल कुल्मी	22/2	0.233	0.233	-	0.233	-
2	जगदीश पिता शंभुलाल भील	22/1	0.233	0.233	-	0.233	-
3	पवनकुमार पिता देवेन्द्रकुमार ब्राम्हण	21/2	0.888	0.400	-	0.400	-
4	राजू पिता घीसालाल मेहतर	33/6	0.500	0.500	-	0.500	-
5	महेश पिता रतनलाल खटीक	28/2	0.345	0.200	-	0.200	-
योग . .			2.199	1.566	-	1.566	
ग्राम.—साकरिया							
1	फारूख, मुस्ताक, फरीदा पिता अजीज, कल्लोबी बेवा अजित पिंजारा.	290/2	0.52	0.30	-	0.30	-
2	जन्नत बी पति इब्राहीम पिंजारा	290/1	0.52	0.30	-	0.30	-
		188/मिन 1	0.20	0.20	-	0.20	-
	सायरा बी पति कयूम अजमेरी मुसलमान	187/मिन 2	0.20	0.20	-	0.20	-
		187/मिन 1 मिन 2	0.52	0.52	-	0.52	-
योग . .			1.96	1.52	-	1.52	
महायोग . .			4.159	3.086	-	3.086	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—नंदावता तालाब योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वतंत्रकुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-प्रबंधन) जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 7 मार्च 2017

क्र. 118.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सेमरिया जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)			राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर			
(1)			(2)			
क्र.	राजस्व मूल ग्राम का नाम	प.ह.नं.	मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्र.	नवीन ग्राम का नाम	प.ह.नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बीरखाम	26	742.009	1.	बीरखाम गौतमान	26

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 10 मार्च 2017

प्र. क्र. 220-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में औँकारेश्वर परियोजना नहर चरण 3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम रसवा तहसील कुक्षी, जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30, सन् 2013) कि धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

ग्राम—रसवा		अनुसूची (1) तहसील—कुक्षी		जिला धार (मध्यप्रदेश)
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	औँकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3	1.515	0.322	1.837
	योग . .	1.515	0.322	1.837

अनुसूची (2)

औँकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम रसवा तहसील कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमंक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सुनिता पति दिनेश, स्नेहा, रितेश अ. पा. कर्ता माता जाति कुलमी निवासी पिपल्या.	145/2/1	1.000	-	1.000	0.180	-	0.180
2	शांति पति देवराम जाति कुलमी निवासी पिपल्या.	145/1	2.023	-	2.023	0.350	-	0.350
3	सीताबाई बेवा सुखलाल जाति कुलमी निवासी पिपल्या.	172/2 178/2/2	0.045 0.074	-	0.045 0.074	0.015 0.015	-	0.015 0.015
4	कमल पिता सुखलाल जाति कुलमी निवासी पिपल्या.	145/3/2	1.420	-	1.420	0.380	-	0.380
5	आबिद पिता शब्बीर, मदिना बी बेवा शब्बीर जाति मुसलमान निवासी निसरपुर.	145/2/2	-	1.124	1.124	-	0.182	0.182

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	रामेश्वर पिता सीताराम जाति कुलमी निवासी पिपल्या.	144	4.480	-	4.480	0.335	-	0.335
7	कैलाश पिता हिरा जाति कुलमी निवासी पिपल्या.	143/2/1	-	1.085	1.085	-	0.140	0.140
8	विशाल कुमार पिता रामेश्वर जाति कुलमी निवासी पिपल्या.	143/3	1.300	-	1.300	0.240	-	0.240
योग . .			10.342	2.209	12.551	1.515	0.322	1.837

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्र. 01-स्था.निर्वा-मण्डी-167-2017.—एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 178-छतरपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 आमखेरा के उपनिर्वाचन 2016 में निम्नानुसार श्री सुक्का पिता श्री परमा अहिरवार पता ग्राम परापट्टी कृषक सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं :-

क्र.	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
01	श्री सुक्का पिता श्री परमा अहिरवार	कृषक सदस्य	ग्राम परापट्टी, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.

रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्र. मंडी निर्वा-मण्डी-2016-17-76.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. संजय गोयल, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश कृषि मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत ग्वालियर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

क्रमांक	मंडी का नाम	नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मंडी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
01	कृषि उपज मंडी समिति, लशकर ग्वालियर.	श्री इसरार हुसैन निवासी ग्राम सिगौरा.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) (घ).

संजय गोयल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 3 मार्च 2017

क्र. 352-मंडी निर्वाचन-2016-17.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला सीहोर, मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम 2010 के अन्तर्गत सीहोर जिले की कृषि उपज मंडी समिति, जावर के लिये एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मंडी का नाम	नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मंडी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जावर	श्री कृपालसिंह आ. स्व. श्री कमलसिंह ठाकुर, निवासी ग्राम जावर, तह. जावर, जिला सीहोर.	धारा 11(1) (घ) के अंतर्गत विधायक प्रतिनिधि.

सुदाम खाडे, कलेक्टर.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2017

क्र.-एफ-3-160-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1, सन् 2012) की धारा 23“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-160-2012-बत्तीस, दिनांक 19 दिसम्बर 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफत्र (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम तिलवारा घाट	37, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 39/4, 39/5, 39/6, 40/2	1.628	नगर उद्यान तथा मार्ग.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (शिक्षा) तथा मार्ग.

योग . . . 1.618 हेक्टेयर

(1) आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 72,81,000/- (रुपये बहत्तर लाख इक्यासी हजार रुपये मात्र) दिनांक 18 मार्च 2017 को भारतीय स्टेट बैंक तुलाराम चौक शाखा, जबलपुर में चालन क्रमांक-22502251 द्वारा राजकीय कोष में जमा की गई है.

(2) उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बैतूल, मध्यप्रदेश

क्र./एस.डब्ल्यू./2017/3332.—

बैतूल, दिनांक 16 मार्च 2017

वर्तमान पुलिस चौकी गंज, थाना कोतवाली बैतूल के नवीन थाने में उन्नयन हेतु
अपवर्जित किये जाने वाले शहरी वार्डों एवं ग्रामों की सूची

अ-शहरी क्षेत्र

क्र.	उस पुलिस थाने का नाम-तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है	अपवर्जन किये जाने वाले शहरी वार्डों के नाम	
		वार्ड क्रमांक एवं नाम	वार्ड में से अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
01		वार्ड क्रमांक-02 अर्जुन नगर	(1) अर्जुन नगर (2) कत्तल ढाना (3) तुलसी नगर (4) कालापाठा.
02		वार्ड क्रमांक-01 सुभाष वार्ड	(1) हमलापुर (2) गोंडी मोहल्ला (3) डिपो गेट (4) मांझी नगर.
03		वार्ड क्रमांक-23 जयप्रकाश वार्ड	(1) पटवारी कालोनी (2) रेल्वे कालोनी (3) गर्ग कालोनी (4) इंद्रा नगर नागपुर नाका.
04		वार्ड क्रमांक-22 इंदिरा वार्ड	(1) इंद्रा कालोनी (2) पीडब्ल्यूडी ऑफिस (3) गांधी नगर, (4) सिंचाई विभाग.
05		वार्ड क्रमांक-21 टैगोर वार्ड	(1) पुलिस लाईन (2) हाउसिंग बोर्ड (3) सिविल लाईन (4) सिंधी कालोनी.
06		वार्ड क्रमांक-25 रामनगर वार्ड	(1) रामनगर (2) रामनगर ढीमर मोहल्ला (3) सिंगल ढाना.
07	थाना कोतवाली बैतूल, तहसील व जिला बैतूल.	वार्ड क्रमांक-28 विकासनगर वार्ड	(1) विकास नगर (2) सुयोग कॉलोनी (3) टेलीफोन कॉलोनी, (4) संजय कॉलोनी (5) जेएच कॉलेज.
08		वार्ड क्रमांक-29 राजेन्द्र वार्ड	(1) चुन्नी ढाना (2) शहीद कॉलोनी (3) सब्जी मंडी गंज (4) राजेन्द्र वार्ड.
09		वार्ड क्रमांक-30 लोहिया वार्ड	(1) लोहिया वार्ड (2) आबकारी (3) लोहिया वार्ड ओझा ढाना.
10		वार्ड क्रमांक-31 विनोबा नगर वार्ड	(1) विनोबा नगर भग्गू ढाना
11		वार्ड क्रमांक-32 शंकर वार्ड	(1) माचना नगर (2) शंकर वार्ड ओझा ढाना (3) शंकर नगर भग्गू ढाना.
12		वार्ड क्रमांक-33 विवेकानंद वार्ड	(1) विवेकानंद भग्गू ढाना (2) ग्रीम सिटि (3) काली चट्टान (4) मेहतो कॉलोनी.

वर्तमान पुलिस चौकी गंज, थाना कोतवाली बैतूल के नवीन थाने में उन्नयन हेतु
अपवर्जित किये जाने वाले शहरी वार्ड एवं ग्रामों की सूची

ब-ग्रामीण क्षेत्र

क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है	अपवर्जन किये जाने वाले ग्रामों के नाम
(1)	(2)	(3)
01		खण्डारा
02		मल्कापुर
03		बाजपुर
04		खेडली
05		भैंसदेही
06		राठीपुर
07	थाना कोतवाली, बैतूल, तहसील व जिला-बैतूल	खेडला
08		रावनवाड़ी
09		उमरी (जागीर)
10		बोडी
11		केलापुर
12		सोमवारी पेठ
13		कुम्हार टेक

नवीन पुलिस चौकी सोनाघाटी, थाना कोतवाली बैतूल, जिला बैतूल की स्थापना हेतु
अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों की सूची

क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है	गाँव/मोहल्ले का नाम
(1)	(2)	(3)
01		सोनाघाटी
02		भारत भारती
03		जामठी
04		मरामझिरी
05		झगड़िया
06		कढ़ाई
07		कोसमी
08		टिगरिया
09		लापाझिरी
10	थाना कोतवाली, बैतूल, जिला-बैतूल	उडदन
11		कोदारोटी
12		झाडेगाँव
13		टेमनी
14		मंढई खुर्द
15		मंढई बुजुर्ग
16		गेहूँरास
17		साकादेही
18		खकरा जामठी

नवीन पुलिस चौकी भौरा, थाना शाहपुर, जिला बैतूल की स्थापना हेतु अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों की सूची

क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है	गाँव/मोहल्ले का नाम
(1)	(2)	(3)
1	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	भौरा
2	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	भौराढाना
3	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	डोढरामोहर

(1)	(2)	(3)
4	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	गुरगन्दा
5	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	कुन्डीनवरंगढाना
6	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	मगरडोह
7	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	सोमुढाना
8	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	टेकरीपुरा
9	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	कामठी
10	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	कुसमेरी
11	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	बाका
12	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	खोदरी
13	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	ठानीखेड़ा
14	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	पहावाडी
15	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	चापडा
16	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	चिमलटेकरी
17	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	रायपुर
18	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	हीरावाडी
19	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	पावरझण्डा
20	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	जामनगरी
21	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	सेमरपुरा
22	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	सारपानी
23	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	जामुनढाना
24	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	बानाबेहडा
25	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	चिखल्दा
26	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	हाण्डीपानी
27	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	सोनादेही
28	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	भिरीयाडोल
29	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	कछार
30	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	जोडियामउ
31	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	कोयलारी
32	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	कोयलबुड्डी
33	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	खापा
34	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	धारनमउ
35	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	कोचामउ
36	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	झापडी
37	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	विरगवाडी
38	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	कालापानी
39	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	बेहरापुरा
40	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	सालीमेट
41	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	पोलापत्थर
42	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	बोडीपानी
43	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	मानसिंहपुरा
44	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	नयापुरा
45	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	जामुनकुआ
46	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	सेमरपुरा
47	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	टेकरीपुरा
48	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	धार
49	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	चिरमाटेकरी
50	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	भुमकाढाना
51	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	दौडी
52	थाना शाहपुर, जिला बैतूल	मरदानपुर

शशांक मिश्र, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-हातोद, जिला
इन्दौर (म. प्र)**

क्रमांक 204-भू-अर्जन-2017

हातोद, दिनांक 2 मार्च 2017

क्रमांक 10-अ-82-16-17.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँधी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	मोहम्मदपुर उर्फ लोडिया प.ह.नं.- 32	83	0.020
			89/1/1	0.012
			84/1	0.103
			91/1/1	0.066

1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	मोहम्मदपुर उर्फ लोडिया प.ह.नं.- 32	91/1/2	0.155
			94/1	0.035
			94/2	
			94/1/3	0.043
			94/2/3	
कुल योग			7	0.434

क्र. 209-भू-अर्जन-2017 क्र. 6-अ-82-16-17.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	नेवरी प.ह.नं.- 26	374	0.054
			632/2	0.164
			626/1	0.169
			626/2	0.036
			626/3	0.058

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	नेवरी प.ह.नं.- 26	627/1	0.037
			627/2	0.086
			628	0.094
			629	0.089
			631/1	0.029
			631/2	0.148
			633/2	0.031
			635/1/3	0.129
			635/1/4	0.043
			635/4	0.093
			635/3	0.108
			637/3	0.140
			639/2	0.117
			639/3	0.108
			639/4	0.047
			642/1/1/1	0.115
			642/3	0.010
			646/4	0.017
			642/9	0.010
			643/5	0.167
			643/6	0.089
			644/1/1 ब	0.022
			644/1/2	0.007
			654/2	0.022
			654/3/1	0.027
			654/3/2	0.029
			654/4	0.059
			654/5	0.064
			654/8	0.072
			655/2	0.122
			655/3/2	0.036
			693/2	0.004
			693/4	0.061
642/4	0.013			
कुल योग			39	2.726

क्र. 214-भू-अर्जन-2017 क्र. 11-अ-82-16-17.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँधी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	पिपलोदा प.ह.नं.- 03	331/6	0.072
			331/7	0.126
			331/8	0.002
			331/9	0.126
इन्दौर	हातोद	पिपलोदा प.ह.नं.- 03	331/10	0.003
			339/2	0.047
			339/3	0.045

1	2	3	4	5
			339/4	0.022
			339/5	0.017
			339/6	0.058
			343	0.014
कुल योग			11	0.532

क्र. 219-भू-अर्जन-2017 क्र. 8-अ-82-16-17.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	पलास्या प.ह.नं.- 32	165/3	0.031
			196/2	0.222
			206	0.071
			207/3	0.090
			211/1	0.133
			212/1	0.183
कुल योग			6	0.730

क्र. 224-भू-अर्जन-2017 क्र. 4-अ-82-16-17.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	बड़ीकलमेर प.ह.नं.- 33	274	0.009
			276/2	0.030
			275/1	0.002
			275/2	0.025
			277	0.036

1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	बड़ीकलमेर प.ह.नं.- 33	282/1	0.066
			282/2	
			283	0.081
			284/1	0.011
			284/2	
कुल योग			10	0.260

क्र. 229-भू-अर्जन-2017 क्र. 3-अ-82-16-17.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना की बाँयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	डांसरी प.ह.नं.- 29	7	0.007
			8	0.058
			9	0.176
			15/1	0.059
			15/5	0.043

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	डांसरी प.ह.नं.- 29	15/2	0.065
			15/4	0.036
			22	0.068
			15/3	0.001
			15/6	0.016
			17	0.094
			21/1	0.001
			23/2	0.018
			29	0.068
			30/1	0.088
			30/2	0.083
			32/3	0.162
			32/4	0.022
			33	0.151
			34/1	0.001
			67/3	0.001
			44	0.169
			45/1	0.035
कुल योग			23	1.422

अनिल बनवारिया, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भूमि-अर्जन पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013

(धारा-11)

रीवा, दिनांक 20 फरवरी 2017

क्र. 64-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. बनरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	बकिहा	1.584	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.	बमरहा तालाब की राइट बैंक नहर के निर्माण हेतु.
योग . .			1.584		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 65-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	हर्दिहाई	0.610	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.	बमरहा तालाब की राइट बैंक नहर के निर्माण हेतु.
योग . .			0.610		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 66-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	नरसिंहपुर	0.905	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.	बमरहा तालाब की राइट बैंक नहर के निर्माण हेतु.
योग . .			<u>0.905</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 67-भू-अर्जन-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	पटेहरा	0.094	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.	बमरहा तालाब की राइट बैंक नहर के निर्माण हेतु.
योग . .			<u>0.094</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 7 मार्च 2017

क्र. 1189-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र का भाग होने के कारण आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 उपधारा (3) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	घघौड़	1.889	क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया.	अधिसूचित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र का भाग होने एवं उसके अन्दर स्थित होने के कारण.

(2) प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:—बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा विस्तार हेतु.

क्र. 1190-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	चंदिया	अंतरिया	73.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	अंतरिया जलाशय सिंचाई योजना.
	—,—	कासपानी	4.500		
	—,—	मझौलीकला	3.000		
	—,—	जलधरा	4.500		
	—,—	डोगरगवां	5.500		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:—अंतरिया जलाशय सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 10 जनवरी 2017

क्र. भू-अर्जन-2016-17-7.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	बम्हनी रै. प. ह. नं. 30	6.57	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर के नयेगांव माइनर, बम्हनी माइनर, बम्हनी सब-माइनर 1, 2 एवं कोको माइनर 2 नहर हेतु.

कुल . . 6.57

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.
- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-8.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	टिकरिया रै. प. ह. नं. 31	11.30	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर के कोको वितरक एवं टिकरिया रै. माइनर नहर हेतु.

कुल . . 11.30

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।
- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2016-17-9.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	नयेगाँव रै. प. ह. नं. 30	6.01	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नए गाँव माईनर, नए गाँव सब-माईनर 1 एवं नए गाँव सब-माईनर 2 नहर हेतु.

कुल . . . 6.01

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।
- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 31 जनवरी 2017

प्र. क्र. 09-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—आरोली
(घ) क्षेत्रफल—0.090 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
514/मिन-1/787	0.090
योग	0.090

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की आरोली शाखा नहर/उपशाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2017

क्र. 294-भू-अर्जन- प्र. क्र.-06-अ-82-2016-17.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि के कॉलम (2) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 132 के. व्ही. सप्लाई (इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रेक्सन) हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—किसरौंद (प.ह.नं. 51/57)
(घ) रा.नि.मं.—शहपुरा
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 0.16 हे. एवं इस पर आने वाली अन्य संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
187/5	0.16
कुल रकबा	0.16

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 132 के. व्ही. सप्लाई (इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रेक्सन) हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) चूँकि कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्ति की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है. अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, अतः किसी भी व्यक्ति का व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखा जा सकता है.
(5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर, जबलपुर या कार्यालय, कार्यपालन अभियंता अति. उच्च दाब निर्माण संभाग-2, म. प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रामपुर, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर, परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 मार्च 2017

पत्र क्र. 426-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—छिरहाई
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.111 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
767/1/क	0.041
767/1/ख	0.141
767/1/ग	0.224
767/2/1	0.088
767/2/2	0.617
योग	1.111

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 3 मार्च 2017

प्र. क्र. 5-अ-82-16-17 क्र. 4012-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—नियामतखेडी
(घ) अर्जित रकबा—3.649 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
13/1/1	0.293
13/2	0.013
15	0.379
26	0.190
27	0.120
36/2/1	0.300
37	0.325
38/2/3	0.045
38/2/2	0.400
36/2/2	0.125
39/2	0.009
39/3	0.068
39/1/1	0.113
39/1/2/2	0.189
83/1	0.165
84/2	0.484
84/1	0.246
81/1	0.108
82/1	0.019
81/2	0.058
योग	3.649

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—“दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 3-अ-82-16-17 क्र. 4014-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—जैतपुरा
(घ) अर्जित रकबा—4.969 हैक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
16	0.793
378/1	0.548
379/1	0.326
379/2	0.056
379/3	0.108
379/4	0.096
380/2	0.342
388/2	0.380
386/4	0.181
386/8	0.299
384/1	0.348
412	0.563
415/3/1	0.518
415/3/2	0.127
415/5/1	0.284
कुल योग . .	4.969

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—“दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.”

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 8-अ-82-16-17 क्र. 4018-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—उटावद
(घ) अर्जित रकबा—10.917 हैक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
31/1	0.642
30/1	1.062
30/2	0.019
30/1/2	0.865
13/2/1	2.422
13/2/2	0.044
13/1	1.335
11	0.856
10	0.422
9	0.194
75	0.139
77/1	0.184
78/1	0.486
267/2/1	0.257
267/2/2	0.593
265/3	0.445
85/1	0.952
कुल योग . .	10.917

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—“दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.	(1)	(2)
	538	0.253
	533/1	0.226
	539	0.170
	540/1	0.135
प्र. क्र. 4-अ-82-16-17 क्र. 4020-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	540/2	0.072
	540/3	0.022
	540/4	0.030
	533/2	0.028
	533/3	0.170
	531/1	0.250
	529/1/1	0.365
	531/2	0.250
	547/3	0.025
	529/1/2	0.435
	529/2	0.495
	530/2	0.080
	374/5/2	0.195
	369/2	0.032
	370/1/1	0.040
	370/1/2	0.090
	370/2/1	0.110
	742/3	0.150
	405/2/1	0.135
	370/2/2	0.035
	405/2/2	0.010
	406	0.139
	407	0.025
	404	0.038
	405/1	0.420
	744/1	0.268
	420/2	0.042
	440	0.055
	439	0.150
	438/2	0.078
	450/1	0.130
	451/3	0.050
	447	0.062
	448	0.155
	449	0.114
	450/2	0.240
	452	0.028
	528/1	0.458
	528/2	0.032
	528/3	0.865
	537	0.013

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—गुणावद
(घ) अर्जित रकबा—15.861 हैक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
312/1/क/1	0.285		
312/1/क/2	0.285		
312/1/3/क/1	0.042		
312/1/3/क/2	0.290		
315/1	0.240		
315/2/1	0.067		
315/2/2	0.005		
301/2/1	0.400		
300/1/1	0.310		
300/2/1	0.145		
374/3/2/1/2	0.005		
374/3/2/2/2	0.075		
374/4/2/क	0.025		
372	0.004		
367	0.158		
371	0.255		
374/4/1	0.067		
369/1	0.042		
368/2	0.036		
453	0.035		
451/2	0.005		
537	0.013		

(1)	(2)
548	0.488
558/1	0.575
558/2	1.310
560	0.280
742/2	0.150
570/1/क	0.580
570/5	0.065
570/9	0.040
570/11	1.030
570/7/क	0.065
570/7/ख	0.057
570/12	0.040
740/1	0.080
740/5	0.055
740/2	0.097
740/3/1	0.042
740/3/2	0.043
740/4	0.380
742/1	0.225
742/4	0.105
743/2	0.213
कुल योग . . .	<u>15.861</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—“दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 4 मार्च 2017

क्र. 653-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा,

यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—वारासिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम खडगपुर प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. वारासिवनी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.211 हैं. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
392	0.008
390	0.162
387/4	<u>0.041</u>
कुल योग . . .	<u>0.211</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—ग्राम खडगपुर, तहसील वारासिवनी में मॉयनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> एवं पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी, जिला बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 654-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—खैरलॉजी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम अमई, प.ह.नं. 03, रा.नि.मं. सालेबर्डी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.252 हैं. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
637/5-638/5	0.116
637/1-638/1	0.136
कुल रकबा . . .	<u>0.252</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—ग्राम अमई तहसील खैरलॉजी में वाटरकोर्स निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 4 मार्च 2017

क्र. 1418-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—चारगांव, प.ह.नं.10, ब. नं. 166
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—3.20 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित नया खसरा नं.	प्रस्तावित पुराने खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी भूमि का विवरण		
140	72/1	0.05
139	72/2	0.02
142	71	0.10
138	69/10	0.05
137	69/9	0.05
124	69/3	0.09
125/178	70/5	0.12
125/177	70/4	0.07
125/176	70/3	0.01
112	66/1	0.22
111	66/5	0.13
110	66/2	0.05
109	66/4	0.06
108	66/3	0.23
98	58	0.09
97	57	0.15
50	100/1	0.06
279	310/1	0.14
278	310/5	0.04
276	310/7	0.03
277	310/4	0.02
273	310/3	0.07
239	294/1	0.25
338	294/2	0.03

(1)	(2)	(3)
275	310/6	0.07
274	310/2	0.04
272	308/1	0.25
249	296/3	0.10
250	296/1	0.12
248	295/1	0.03
247	295/2	0.05
246	295/3	0.03
245	295/4	0.03
243	295/5	0.04
242	295/6	0.03
148	220	0.10
211	275/1	0.01
183	250	0.08
182	249/2	0.07
181	249/1	0.02
	योग . .	<u>3.20</u>

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

155	74	0.02
107	65	0.01
104	62	0.03
19	99	0.02
147	309	0.02
251	274	0.02
	योग . .	<u>0.12</u>
योग . . (अ)+(ब)		<u>3.32</u>

क्र. 1419-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—हथनापुर, प.ह.नं.8, ब. नं. 597
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—1.98 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
--------------------------------	-------------------------------------

(अ) निजी भूमि का विवरण

869/9	0.17
869/3	0.02
869/5	0.15
869/4	0.12
870	0.07
1005/1	0.10
1007/1	0.02
1007/2	0.02
1014	0.04
1016	0.11
1013/3	0.10
934/8	0.10
747/5	0.07
932	0.28
947/1	0.03
947/2	0.18
690	0.19
893	0.06
703	0.04
747/7	0.03
967/2	0.04
683	0.04
योग . .	<u>1.98</u>

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माईनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्रि पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण		(1)	(2)
(1)	(2)		
1008	0.03	323/3	0.01
1017	0.06	323/2	0.08
योग . .	0.09	324	0.70
कुल योग (अ+ब) . .	2.07	369	0.27
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माईनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.		367/5	0.29
		367/4	0.19
		367/2	0.15
		419	0.87
		445	1.01
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.		446/3	0.45
		446/4	0.35
		446/5	0.33
		367/1	0.17
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.		370	0.08
		371	0.35
		373/4	0.09
		373/5	0.20
सिवनी, दिनांक 6 मार्च 2017		373/6	0.09
क्र. 1435-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		373/7	0.18
		382	0.01
		383	0.23
		418	0.25
		442/1	0.90
		442/8	0.16
		443	0.02
		योग निजी भूमि . .	8.32
अनुसूची		(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—सिवनी		347	0.02
(ख) तहसील—सिवनी		394	0.02
(ग) नगर/ग्राम—खमरिया, प.ह.नं. 43, ब. नं. 97 रा. नि. म. भोमा.		413	0.30
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.69 हेक्टेयर.		319	0.03
खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)	योग शासकीय भूमि . .	0.37
(अ) निजी भूमि का विवरण		कुल योग (अ+ब) . .	8.69
(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	
315	0.46		
323/1	0.12		

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 मार्च 2017

क्र. 130-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—खम्हरिया
(घ) क्षेत्रफल—0.335 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
52/1	0.028
52/2	0.028
52/3	0.032
295	0.093
297/2	0.026

(1) (2)

387/1 0.064

387/2 0.064

निजी खाता भूमि योग रकबा . . . 0.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक-1 रीवा (म. प्र.) के अन्तर्गत सिजहटा-हिनौती-मलगांव-खम्हरिया-अबेर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 131-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—टेढ़गावां
(घ) क्षेत्रफल—0.040 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10	0.040
निजी खाता भूमि योग रकबा . . .	<u>0.040</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक-1 रीवा (म. प्र.) के अन्तर्गत सिजहटा-हिनौती-मलगांव-खम्हरिया-अबेर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.